



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कन्नूर
NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANNUR

12200(2)/NIFT/KNR/ESTT/Off.Order/2021

15th दिसंबर/December 2023

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER (20/2023-24)

विषय: निफ्ट कन्नूर के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन

Sub: Internal Complaints Committee for NIFT Kannur

उक्त विषय पर जारी सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निपटान) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में निफ्ट कन्नूर परिसर के श्रेणी - सी के कर्मचारियों के संदर्भ में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। उक्त समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे:

Superseding all the orders hitherto issued on the subject, the Competent Authority has been pleased to constitute an Internal Complaints Committee (ICC) in respect of Group-C employees of NIFT, Kannur Campus in compliance of the "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 as under:

1. डॉ. अफ्रोस फातिमा फरीद/Dr. Afrose Fathima Farid : प्रोफेसर - अध्यक्ष/Professor – Chairperson
2. श्रीमती दिव्या पी. आर./Ms. Divya P.R. : सहायक प्रोफेसर- समन्वयक/Asst Prof.– Convenor
3. श्रीमती पवोल सहदेवन/Ms. Pavol Sahadevan : सहायक प्रोफेसर/Assistant Professor
4. श्रीमती शालु वी नायर/ Ms. Shalu V Nair : सहायक प्रोफेसर/Assistant Professor
5. श्री गोपाल सी/Mr. Gopal C : वरिष्ठ सहायक/Senior Assistant
6. सुश्री प्रजिना टी/ Ms. Prajina T : सहायक/Assistant
7. डॉ. मरियम एन.वी., डी.जी.ओ/Dr. Mariyam : बाह्य सदस्य(प्रसूति एवं स्त्रीरोग)/External Member
N.V., D.G.O (Obstetrics & Gynaecology)

1. आईसीसी-निफ्ट कन्नूर का कार्यकाल इस ओएम के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगा।

The tenure of the ICC – NIFT Kannur shall be for a period of three years from the date of issue of this OM.

2. शिकायत प्राप्त होने पर यह आईसीसी विशाका दिशानिर्देश के साथ-साथ कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निपटान) अधिनियम के अनुसार आवश्यक जांच करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतकर्ता युक्त संभावित गवाह के रिकॉर्डिंग बयानों एवं दस्तावेजी सबूत का संग्रह करके आरोप को सही ठहराया गया है। इसके बाद यह आईसीसी प्राथमिक जांच कार्यवीही के दौरान प्रस्तुत किये गए सभी मूल दस्तावेजों के साथ सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अगर उक्त आरोप यौन उत्पीड़न की प्रकृति के अनुरूप नहीं होता है तो उक्त आईसीसी उक्त मामले को संयुक्त निदेशक के पास उचित कार्रवाई हेतु भेजेगी।

On receipt of a complaint the ICC shall conduct necessary enquiries in accordance with the Vishaka Guidelines as well as 'Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act ('the Act') to ascertain the truth of the allegations by collecting documentary evidence and recording statements of possible witnesses including the complainant. The ICC shall then submit the preliminary enquiry report to the Competent Disciplinary Authority along with all the original documents produced during the preliminary enquiry proceedings. In case the allegations do not appear

[Handwritten Signature]
18/12/2023



to be in the nature of sexual harassment, the ICC may refer the matter to the Joint Director for appropriate action.

3. यदि शिकायत उक्त आईसीसी से संबंधित नहीं है तो उक्त सदस्य उस विशिष्ट जांच में शामिल नहीं होंगे। इस तरह के मामले के लिए परिसर निदेशक द्वारा अन्य सदस्य को नामित किया जाएगा।

In case of a complaint is related to the said ICC, the member shall not participate in that specific enquiry. In such a case, another member shall be nominated by the Campus Director.

Manoj
Mhmm
18/12/2023
डॉ. मनोज तिवारी/Dr. Manoj Tiwari

संयुक्त निदेशक(प्रभारी)/Joint Director (I/c)

प्रतिलिपि/Copy to

1. डीजी निफ्ट/DG NIFT
2. सीवीओ, निफ्ट एचओ/CVO, NIFT HO
3. निदेशक (एच.ओ)/Director (H.O)
4. हेड (एए) एचओ/Head (AA) HO
5. विधि अधिकारी/Legal Officer
6. डीजी के पीएस - सूचनार्थ/PS to DG – for information
7. जिला प्रशासन/जिला कलेक्टर - सूचनार्थ/District Administration/ District Collector – for information
8. डॉ. मरियम एन.वी., डी.जी.ओ (प्रसुति एवं स्त्रीरोग)/ Dr. Mariyam N.V., DGO (Obstetrics & Gynaecology)
9. आंतरिक परिचालन/सूचना पट्ट/ Internal Circulation/Notice Board